न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 294 / 2018

RCMS Case No. : 2018 / 00445

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1. श्रीमति वदिया देवी पत्नी स्व. घीसाराम 2. शंकरलाल पुत्र स्व. घीसाराम के का0मु0 2.1 ममता पत्नी शंकरलाल 2.2 साक्षी पुत्री शंकरलाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता ममता 3. रमेश कुमार पुत्र घीसाराम 4. नरेश कुमार पुत्र घीसाराम 5. श्रीमति रेखा पुत्री स्व. घीसाराम 6. श्रीमति रमिला पुत्री घीसाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण भादरलाऊ तहसील रानी		1. चौथी पत्नी केसाराम जाति मेघवाल निवासी भादरलाऊ तहसील रानी 2. तहसीलदार देसूरी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18/06/2019

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भादरलाउ के खसरा नम्बर 396/1 रकबा 10 बीघा की भूमि पूर्व में मोतीलाल की कब्जा काश्त की भूमि थी। चूंकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज थी, इस कारण उक्त आराजी पर मोतीलाल का अतिक्रमण दर्ज था। मोतीलाल के देहान्त के पश्चात उक्त आराजी पर केसाराम व घीसाराम का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा। चूंकि केसाराम परिवार में बड़े थे, जिसके कारण केसाराम ने उपरोक्त आराजी स्वयं के नाम आवंटन कराने की कार्यवाही की तथा जैर प्रार्थना पत्र आदेश पारित करवाया। आज भी उक्त आराजी के आधे हिस्से की भूमि अर्थात 5 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण एवं 5 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त हैं। केसाराम के फौत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि जरिये

अति० जिला कलक्टर, पाली

फौतेदगी नामान्तरकरण के अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवायी, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही थी। उक्त एलोन्टमेन्ट एवं राजस्व रेकर्ड की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 01.08.2016 को हुई। जिस पर प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। चूंकि उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की है, जिसमें आधा हिस्सा प्रार्थीगण का तथा आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का है, तद्नुसार जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी में से 5 बीघा भूमि प्रार्थीगण तथा 5 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 396/1 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 371 की भूमि केसाराम को आवंटन हुई है तथा वक्त आवंटन से उक्त आराजी पर केसाराम का कब्जा काश्त था। आवंटी केसाराम द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने के कारण केसाराम को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। खातेदार केसाराम फौत होने पर उसके वारिश के तौर पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में आवंटन प्रक्रिया को किसी भी रूप में आक्षेपित नहीं किया हैं तथा न ही आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता को रेखांकित किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा है, वह अनुतोष प्रदान कराने हेतु सन्दर्भित धारा के तहत न्यायालय हाजा सक्षम नहीं हैं।.जैर प्रार्थना पत्र विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पति केसाराम को आवंटन होने के पश्चात मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया है तथा मौके पर कब्जा काश्त होने एवं आवंटन शर्तों की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। हालांकि उक्त आवंटन विधि सम्मत एवं प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् बिना काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रक्रिया अपनाए आवंटन के आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर प्रार्थना पत्र आदेश जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 834, आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1299, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 376, आर0आर0डी0 1987 पेज 235, आर0आर0डी0 1986 पेज 137, आर0आर0डी0 1996 पेज 500, डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 592, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 तथा आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1299 की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पति द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया। इस पर पटवारी हल्का द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें अंकित किया कि आवेदक के पास किसी प्रकार की भूमि नहीं हैं एवं आवेदक भूमिहीन हैं। वांछित भूमि खाली पड़ी है तथा आवंटन किए जाने पर किसी प्रकार का एतराज़ नहीं होना ज़ाहिर किया।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

इस पर आवंटन अधिकारी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र आदेश पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पति के नाम प्रश्नगत आराजी का आवंटन किया। प्रार्थीगण का कथन है कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि को लेकर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजों द्वारा आवंटन/नियमन हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, ऐसे तथ्य भी रेकर्ड पर नही है तथा न ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। वर्ष 1967 में अप्रार्थी संख्या 1 के पति को आवंटन किया जा चुका था तथा आवंटन शर्तों की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात केसाराम फौत होने के कारण उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार दर्ज की गई। आर0आर0डी0 1986 पेज 137 में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उसे प्रदत्त किये गये हैं, जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जा सकेगा। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upen the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 50 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है,

अति० जिला कलेक्टर, बाड़ा

इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा जो दादरसी चाही गई है, वह इन नियमों के तहत देय भी नहीं हैं। इन समस्त कारणों से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ किया जाता हैं। इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/06/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली